कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 719 /आगरा/26962/2017, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 04 , 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त,
आगरा।

विषय : आगरा में फतेहाबाद रोड पर अवन्तीबाई चौराहा से कचौराघाट मार्ग (SH-62) के किमी0 11 का 6 लेन चौड़ीकरण हेतु 1.4 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 126 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–1322/14–1, दि0 18.09.2018

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं। उक्त के अभाव में अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है।

1– दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन संलग्न है किन्तु अनुरक्षण 10 वर्ष के स्थान पर 08 वर्ष हेतु ही समावेशित किया गया है।

2– मार्ग चौड़ीकरण का एक Liner Plan जिसमें विद्यमान R.O.W. के सापेक्ष विद्यमान मार्ग, प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें एवं चौड़ीकरण के उपरान्त मार्ग के दोनों ओर अवशेष संरक्षित वनभूमि की गणना भी प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

3– ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड क्षतिपूरक वनीकरण का डिजिटल मैप, सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट बिना हस्ताक्षर के अपलोड की गयी है, जो सुसंगत नहीं है। प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित कराकर ऑनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें।

4– ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। प्रभागीय निदेशक से हस्ताक्षरित कराकर ऑनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें।

5– प्रस्तावित स्थल टी0टी0जेड0 क्षेत्रान्तर्गत है, किन्तु वृक्षों के पातन हेतु सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर संलग्न नहीं की गयी है।

6– ऑनलाइन पार्ट–2 व 3 पर संस्तुति किये गये प्रपत्र की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

अतः किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव को संशोधित कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

4/10

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पत्रांक– 719 / उक्तदिनांकित</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा।

2– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, आगरा।

4/10

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Q